फा.सं.आई-11011/04/2019-एनएमआरएफ

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

(रा.म.अ.मौ.पू.कें.)

ए-50, सेक्टर 62,

नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिनांकः- 6 सितंबर, 2019

कार्यालय आदेश

विषय: जांच बिन्दुओं का गठन।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित जांच बिन्दुओं का गठन किया जाता है:

1.	1. धारा 3(3)का अनुपालन	जो अधिकारी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी 14 (इसमें सामान्य/अनुभागीय आदेश, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना/मंजूरी आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, नियम, अनुज्ञप्ति, संविदा करार, निविदा प्रारूप एवं विभागीय प्रयोग के लिए स्थाई प्रकार के ऐसे सभी आदेश निर्णय या अनुदेश आदि शामिल हैं) काग़जातों पर हस्ताक्षर करेंगे वे जांच बिन्दुओं का कार्य करेंगे तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काग़जात केवल अंग्रेजी में जारी न किया जाए।
2.	'क' 'ख' क्षेत्र से प्राप्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत:	हिंदी में भेजा जाता है। इसके लिये प्राप्त पत्रों के उत्तर में प्रेषित किये जाने वाले पत्र हिंदी में जारी करने के लिये उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
3.	नामपट्ट, सूचना पट्ट, वि़जिटिंग कार्ड, रजिस्टर, कार्यालय में प्रयोग होने वाले लिफाफे, रबड़ की मोहरें, सीलें, लोगो, मोनोग्राम, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, बैज/बिल्ले आदि द्विभाषी रूप में जारी करना	इन सभी सामग्री को द्विभाषी रूप में जारी करने के लिये संबंधित अनुभाग अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगें।
4.	कार्यालय में प्रयोग में आने वाले सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी टाइपिंग की व्यवस्था	इस व्यवस्था के कंप्यूटर प्रभाग के प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगें।
5.	वैबसाइट का द्विभाषीकरण	कार्यालय की वैबसाइट द्विभाषी रूप में होना अनिवार्य है इसके लिये कंप्यूटर प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगें।
6.	सेवा पुस्तिका	सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी प्रविष्टि करने के लिए स्थापना अनुभाग के निदेशक/अनुभाग अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे साथ ही सेवा पुस्तिकाओं के मैन पृष्ठ पर कर्मचारी का नाम पदनाम आदि लिखने के लिये जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।

7.	**पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की खरीद**	राजभाषा नीति के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 की अनुपालन: के लिये पुस्तकालय प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
8.	**कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्टरों पर नाम आदि द्विभाषी रूप में**	प्रत्येक अनुभाग अपने अनुभाग में प्रयोग में लाए जा रहे रजिस्टरों पर विषय, नाम आदि द्विभाषी रूप में लिखने के लिये अनुभाग के अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
9.	**विभागीय रा.भा.कार्यान्वियन समिति की बैठकें और हिंदी कार्यशाला**	विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने के लिये हिंदी प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
10.	**कार्यालय की हिंदी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट**	कार्यालय की तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा नगर राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली रिपोर्टों के लिये हिंदी प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
11.	**हिंदी जानने वाले (प्रवीण एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित रोस्टर**	कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रवीण एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) के ज्ञान के लिये हिंदी प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे।
12.	**फाइलों पर विषय/शीर्षक द्विभाषी अथवा केवल हिंदी में**	इस संबंध में कार्यालय के सभी अनुभाग अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या सभी फाइलों के विषय/शीर्षक द्विभाषी अथवा हिंदी में हैं।
13.	**प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर तैयार करना**	इस संबंध में हिंदी प्रभारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे तथा कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार प्रशिक्षण पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी गठित किए गये जांच बिन्दु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने उत्तरदायित्वों का पूर्णत: निर्वाह करें।

इस का.आ. को कार्यालय प्रमुख, रा.म.अ.मौ.पू.कें, अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मनोज गुप्ता

(मनोज गुप्ता)
निदेशक, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सभी जांच बिन्दु अधिकारी
2. कार्यालय प्रमुख के निजी सहायक
3. सूचना पट्ट/गार्ड फाइल
4. कम्प्यूटर प्रभारी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध)